रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 1970/कार्तिक 13, 1892
No. 182] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 1970/KARTIKA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th November 1970

SUBJECT.—*Scheme for the licensing of cotton handloom products (other than fabrics) for export to the USA during the licensing year 1st October*, 1970 *to 30th September*, 1971.

No. PN(USA-Licensing)/3 of 1970.—Attention is invited to Public Notice No. PN(USA-Licensing)/2 of 1970, dated the 30th September, 1970, on the above subject, in which the procedure for issue of licences under the above scheme was announced.

2. The position has been reviewed and it has been decided that all cotton handloom products (other than fabrics) falling under I.C.T.A. categories 28—64, details of which were given in Annexure 'A' to the Public Notice referred to above, will, until further orders, be licensed freely, on shipping bills, by the Joint Chief Controllers of Imports and Exports, Bombay, Delhi and Madras, by shippers who are registered under the registration scheme of the Handloom Export Promotion Council, or the All India Handloom Board or, in the case of garments, by those shippers who are admitted as members of the Ready-made Garments Panel of the Cotton Export Promotion Council. The shipping bills will have to be accompanied by firm sale contracts and certificates issued in accordance with the procedure for certification of Indian handloom products to the United States of America.

C. S. RAMACHANDRAN, Addl. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1970

विषय:—लाइसेंस वर्ष 1 अक्तूबर, 1970 से 30 सितम्बर, 1971 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका को सूती हाथ करघा उत्पादों (बुने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त) के निर्यात करने के लिए योजना

संख्या पी० एन (यूएसए—लाइसेंसिंग)/(3 1970.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना संख्या पीएन (यूएसए लाइसेंसिंग)/ 2, 1970, दिनांक 30 सितम्बर, 1970 की ओर ध्यान आकृष्टा किया जाता है जिस में उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने के लिए कार्यविधि की घोषणा की गई थी ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और यह निश्चय किया गया है कि सभी सूती हाथ करघा उत्पाद (बुने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त) जो आई सी टी ए की श्रेणी 28–64 के अन्तर्गत आती है और जिनका ब्यौरा उपरिनिर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध ए में दिया गया था, हाथ करघा निर्यात संवर्धन परिषद योजना पंजीकरण के अन्तर्गत पंजीकृत पोत वणिकों द्वारा अथवा अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड या पहनावे कपड़ों के मामलों में सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के सिले सिलाए पहनावे पैनल के स्वीकृत सदस्य के रूप में हैं ऐसे पोत वणिकों द्वारा लदान बिल प्रस्तुत किए जाने पर संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात बम्बई, दिल्ली और मद्रास द्वारा आगामी आदेश जारी होने तक, ये मुक्त रूप से अनुज्ञप्त होंगी । संयुक्त राज्य अमरीका के लिए भारतीय हाथ करघा उत्पादों के प्रमाणन के लिए प्रक्रिया के अनुसार जारी की गई फर्म विक्रय संविदाओं और प्रमाण पत्रों के साथ पोत लदान बिल भेज जाएंगें ।

सी० एस० रामाचन्द्रन, अपर सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970